न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बगहा, पश्चिम चम्पारण।
सत्रवाद संख्या–105 / 2021
कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–17 / 2021
राज्य बनाम विकाश यादव

30.06.2021:–काराधीन अभियुक्त विकाश यादव के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार प्रशांत की ओर से दिनांक 29.06.2021 को वर्चुअली दाखिल जमानत आवेदन को प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रेषित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त की तरफ से श्रीमान सत्र न्यायाधीश, कैम्प कोर्ट, बगहा के न्यायालय में वर्चुअली जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें अभियुक्त के उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं होने के कारण दिनांक 07.04.2021 को खारिज हो गया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं की गयी है। जमानत आवेदन के कंडिका 3 में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक केश दर्ज नहीं है। उनका पुनः निवेदन है कि आवेदक अभियुक्त विल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे झूठे तरीके से फॅसाया गया हैं। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का कथन पूर्णतः बनावटी एवं झूठा है तथा भा0द0वि0 की धारा 363 एवं 302,201 (बाद में जोडा गया) अभियुक्त पर लागू नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त दिनांक 01.11.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत लाभ मिलने पर अभियुक्त उचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है।

सूचक सुभाष कुशवाहा के फर्दबयान के आधार पर अभियोजन का कथन संक्षेप में इस प्रकार है :– सूचक का पौत्र कर्णन कुशवाहा (पे0– राजू कुशवाहा) दिनांक 25.10.2020 को समय लगभग 8 बजे शाम को खाना खाने के पश्चात दुर्गा पूजा की मूर्ति देखने गॉव में गया था। काफी देर के बाद वापस वह घर नहीं आया। सूचक द्वारा खोजबीन करने के बाद भी उसका पौत्र कर्णन कुशवाहा नहीं मिला। सूचक द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर पिपरासी थाना कांड संख्या–25 / 2020 दिनांक 27.10.2020 अंतर्गत धारा 363 पंजीकृत किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

जमानत के विन्दु पर उभय पक्षों को वर्चुअली सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 29.01.2021 को भा0द0वि0 की धारा 302,364ए,201 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। अभिलेख दौरा सुपुर्दगी के पश्चात इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2021 को प्राप्त हुआ है। कांड दैनिकी के पैरा 37 में अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपराध स्वीकार किया है। अभिलेख अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु लंबित है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित भा0द0वि0 की धारा 302 अति गंभीर प्रकृति की है। ऐसी स्थिति में आवेदक काराधीन अभियुक्त विकाश यादव को जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तद्नुसार आवेदक काराधीन अभियुक्त विकाश यादव का जमानत आवेदन ,खारिज किया जाता है।

(लेखापित)
Avinash Kumar
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,